निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 15 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, खटीमा**, **उधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, खटीमा**, **उधमसिंहनगर** के माह **04/2016** से **06/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री **खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त**, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **16.07.2018** से **20.07.2018** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

(1.) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी एस नेगी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.09.2015 से 30.09. 2015 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2.) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील-खटीमा**

(ii.) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2015-16 | - | - | 221.31 | 221.31 | 4.77 | 4.77 | - | - |
| 2016-17 | - | - | 253.67 | 249.07 | 8.34 | 8.34 | - | 4.60 |
| 2017-18 | - | - | 252.56 | 252.56 | 6.35 | 6.35 | - | - |
| 2018-19(06/18) | | | 274.30 | 88.97 | 4.02 | 1.23 | - | - |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है। इकाई कार्यालय, उपजिलाधिकारी, खटीमा, उधमसिंहनगर 'सी' श्रेणी की है।

उपजिलाधिकारी, खटीमा, उधमसिंहनगर विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद |
|---|
| प्रमुख सचिव (राजस्व) |
| सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त |
| आयुक्त कुमाँऊ मण्डल |
| अपर सचिव (राजस्व) |
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |

(iV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपजिलाधिकारी, खटीमा, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छांदित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, खटीमा, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

## भाग दो अ

**प्रस्तरः1- ई-डिस्टक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 8.38 लाख के राजस्व की हानि।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओ के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के इ-डिस्टिक्ट परियोजने से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी खटीमा के अन्तर्गत 1 जनवरी 2015 से दिनांक 18 जुलाई 2018 तक इ-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत खटीमा तहसील में कुल 89234 प्रमाण पत्र बनाये गये। जिनमें से तहसील स्तर से 45880 प्रमाण पत्र जारी किये गये। उन लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क प्राप्त किये गए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 43354 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किये गये उनसे केवल 1068 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 463081 शुल्क प्राप्त किये गये। इस प्रकार जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 1300620 शुल्क लिया जाना चाहिए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 19.32 प्रति लाभार्थी प्रमाण पत्र की दर से 43354 लाभार्थियों से रू 837599 शुल्क कम प्राप्ति किये गये। जिसके कारण विभाग को रू 8.38 लाख की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रश्नगत प्रकरण का उत्तरदायित्व तहसील स्तर के अधिकारियों का नही है, कामन सर्विस सेन्टरों या सी0एस0सी0 में शुल्क निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क का निर्धारण किये जाने के बाद भी कामन सर्विस सेन्टरों से कम शुल्क राजकोष में जमा किये जाने सम्बन्धी कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया है।

अतः इ-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 8.38 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-II 'ब'**

**<u>प्रस्तरः1 (अ)-</u> मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सीज0 की धनराशि रू 284.60लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।**

कार्यालय,उपजिलाधिकारी, खटीमा, ऊधम सिंह नगर के मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सीज0 से सम्बंधित पंजिकाओं, अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व से रू 27.56 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक रू 257.04 लाख अर्थात कुल रू 284.60 लाख के मुख्य एवं विविध देयों/आर0सीज0 की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है, विवरण निम्नवत है-

**(धनराशि रू लाख में)**

| **वित्तीय वर्ष** | **मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सीज0 की वसूली हेतु अवशेष धनराशि** |
|---|---|
| विगत वर्षों की वसूली हेतु लम्बित धनराशि | 27.56 |
| 2015-16 | 46.18 |
| 2016-17 | 139.85 |
| 2017-18 | 71.01 |
| **योग** | **284.60** |

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-II 'ब'**

**<u>प्रस्तरः1 (ब)-</u> विविध देयों/आर0सीज0 की निर्धारित वार्षिक औसतन लक्ष्य प्रतिशत से 50-प्रतिशत से कम वसूली किये जाना।**

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़ देहरादून के पत्र संख्या-6444/रा0प0/संग्रह/2017 दिनांकः 24.03.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत, वसूली कार्य को गति दिये जाने एवं निरन्तर वसूली सुनिश्चित किये जाने के लिए राजस्व परिषद् द्वारा शुद्ध मांग के सापेक्ष मुख्य व विविध देयों के लिए वसूली का माहवार लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, खटीमा, ऊधम सिंह नगर के **विविध देयों** की मासिक वसूली से सम्बंधित पंजिकाओं, अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया माह वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 राजस्व परिषद् द्वारा शुद्ध मांग के सापेक्ष विविध देयों की मासिक निर्धारित प्रतिशत वसूली के सापेक्ष माहवार कम प्रतिशत वसूली की गयी थी अर्थात निर्धारित वार्षिक औसतन लक्ष्य प्रतिशत से 50-प्रतिशत से कम वसूली की गयी थी। निर्धारित वार्षिक औसतन 8.33 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में 3.1-प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 में 4.25-प्रतिशत लक्ष्य प्रतिशत प्राप्त किया गया था(सलंग्नक **परिशिष्ट- अ, ब)**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**सलंग्नकः** परिशिष्ट- अ,ब।

**परिशिष्ट- अ**

**माह अप्रैल,2016 से मार्च,2017 तक**

| **माह का नाम** | **शुद्ध मांग की धनराशि (रू लाख में)** | **माह में की गयी वसूली की धनराशि (रू लाख में)** | **माह में वसूली की गयी धनराशि की प्रतिशत** | **राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित मासिक प्रतिशत लक्ष्य** | **कार्या0 द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य से कम वसूली प्रतिशत** |
|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | 279.87 | 3.13 | 1 | 6 | 5 |
| मई | 425.81 | 9.00 | 2 | 10 | 8 |
| जून | 575.53 | 16.90 | 3 | 9 | 6 |
| जुलाई | 385.10 | 3.45 | 1 | 8 | 7 |
| अगस्त | 329.10 | 15.33 | 4 | 8 | 4 |
| सितम्बर | 298.54 | 11.19 | 10 | 9 | - |
| अक्टुबर | 303.94 | 7.96 | 3 | 9 | 6 |
| नवम्बर | 670.76 | 3.74 | 5 | 8 | 3 |
| दिसम्बर | 587.35 | 26.06 | 4 | 7 | 3 |
| जनवरी | 414.78 | 21.35 | 5 | 7 | 2 |
| फरवरी | 310.38 | 15.87 | 5 | 9 | 4 |
| मार्च | 235.00 | 21.21 | 9 | 10 | - |
| **योग** | | **138.07** | **38** | **100•** | **48[1]** |

नोटः • निर्धारित वार्षिक औसतन प्रतिशत लक्ष्य ₹ 8.33%

1 तहसील द्वारा प्राप्त वार्षिक औसतन प्रतिशत लक्ष्य से कम ₹ 4%

**परिशिष्ट- ब**

**माह अप्रैल,2017- मार्च 2018**

| **माह का नाम** | **शुद्ध मांग की धनराशि (रू लाख में)** | **माह में की गयी वसूली की धनराशि (रू लाख में)** | **माह में वसूली की गयी धनराशि की प्रतिशत** | **राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित मासिक प्रतिशत लक्ष्य** | **कार्या0 द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य से कम वसूली प्रतिशत** |
|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | 502.96 | 3.64 | 1 | 6 | 5 |
| मई | 555.41 | 6.86 | 1 | 10 | 9 |
| जून | 546.39 | 6.04 | 1 | 9 | 8 |
| जुलाई | 532.26 | 7.00 | 1 | 8 | 7 |
| अगस्त | 565.11 | 8.36 | 1 | 8 | 7 |
| सितम्बर | 553.91 | 9.98 | 2 | 9 | 7 |
| अक्टुबर | 560.62 | 10.49 | 2 | 9 | 7 |
| नवम्बर | 520.09 | 24.08 | 5 | 8 | 3 |
| दिसम्बर | 494.77 | 22.50 | 5 | 7 | 2 |
| जनवरी | 262.94 | 22.83 | 9 | 7 | - |
| फरवरी | 217.94 | 19.19 | 7 | 9 | 2 |
| मार्च | 206.54 | 33.00 | 16 | 10 | - |
| **योग** | | | **51** | **100•** | **57[1]** |
| **वित्तीय वर्ष 2018-19** | | | | | |
| अप्रैल | 1171.61 | 3.18 | 0 | 6 | 6 |
| मई | 1481.34 | 11.10 | 1 | 10 | 9 |
| जून | 1220.25 | 8.18 | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | |

नोटः • निर्धारित वार्षिक औसतन प्रतिशत लक्ष्य ₹ 8.33%

1 तहसील द्वारा प्राप्त वार्षिक औसतन प्रतिशत लक्ष्य से कम ₹ 4.75%

**STAN**

**<u>प्रस्तरः01-</u> राजकीय वाहन वसूली का रू 53600 की कम कटौती किया जाना।**

वित्त संसाधन(विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई,1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी है।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, खटीमा, ऊधम सिंह नगर के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री खीम सिंह बिष्ट, तहसीलदार को आवंटित राजकीय वाहन की माह 09/2016 से 06/2018 उनके वेतन से कुल रू 31200/कटौती नहीं की गयी थी तथा श्री विजयनाथ शुक्ल, उपजिलाधिकारी को आवंटित सरकारी वाहन की माह मई 2017 से जून, 2018 तक आवंटित राजकीय वाहन की उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से न किये जाने के कारण रू 22400 की कटौती कम की गयी थी अर्थात उक्त दोनो अधिकारियों से प्रश्नगत अवधि की कटौती न करना तथा कम कटौती की कुल धनराशि रू 53600 लेखापरीक्षा तक वसूली हेतु लम्बित थी। विस्तृत विवरण निम्नवत है-

| अधिकारी का नाम व पदनाम | अवधि | | लम्बित कटौती की कुल धनराशि |
|---|---|---|---|
| श्री खीम सिंह बिष्ट, तहसीलदार | 9/2016 | 04/2017 | 400x8 = 3200 |
| | 05/2017 | 06/2018 | 2000x14 = 28000 |
| श्री विजयनाथ शुक्ल,एस0डी0एम0 | 05/2017 | 06/2018 | 1600x14 = 22400 |
| | | योग | = 53600 |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि इस सम्बंध में वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-III</u>**

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या | भाग- दो ''अ''प्रस्तर संख्या | भाग- दो ''ब'' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| ले.प.प्रति.सं.-60/2016 | शून्य प्रतिवेदन | - | - |

**भाग-IV**

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**--------- --- ---------- शून्य ----------**

**भाग-V**

**आभार**

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, खटीमा,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

| **क्रंम संख्या** | **नाम** | **पद नाम** | **कार्यकाल अवधि** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **कब से** | **कब तक** |
| 1. | श्रीमती ऋचा सिंह | उपजिलाधिकारी | 27.05.2015 | 27.09.2016 |
| 2. | श्री विनोद कुमार | उपजिलाधिकारी | 29.09.2016 | 15.11.2016 |
| 3. | श्री विजयनाथ शुक्ल | उपजिलाधिकारी | 15.11.2016 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

**लेखापरीक्षा अधिकारी**

**सामान्य क्षेत्र**